न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

नाम पीठासीन अधिकारीः— ओमप्रकाश सिंघल निर्णय दिनांक :— 28.10.2022

सरकार बनाम कैलाश पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी हीरवाना तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मुकदमा नम्बर :—113 / 2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :— 28.10.2022

—: आदेश :—

भू.अ. निरीक्षक केड एंव पटवारी पटवार हल्का मैनपुरा द्वारा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई है कि ग्राम हीरवाना के भूमि ख.न. 543 / 231रकबा 0.90 है0 किस्म, गै0मु0 पहाड में से 0.40 है0 भूमि पर अप्रार्थी / अतिक्रमी कैलाश पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी हीरवाना द्वारा उक्त भूमि पर कृषि चंवला कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी / अतिक्रमी बाबजुद नोटिस तामिल के उपस्थित नही तथा अप्रार्थी / अतिक्रमी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एंव पटवारी हल्का, एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम हीरवाना के भूमि ख.न. 543 / 231रकबा 0.90 है0 किस्म, गै0मु0 पहाड में से 0.40 है0 भूमि पर अप्रार्थी / अतिक्रमी कैलाश पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी हीरवाना द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक केड को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.00 का 50 गुणा 50 / — रूपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एंव तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक..................को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार गुढागौडजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Singhal
Date: 2022.11.04 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested